रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092020-221610
CG-DL-E-08092020-221610

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2700] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2020/भाद्र 16, 1942
No. 2700] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2020/BHADRA 16, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2020

का.आ. 3032(अ).—एक प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 4441 (अ), तारीख 10 दिसम्बर, 2019, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 11 दिसम्बर, 2019, को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य कर्नाटक राज्य के मण्डया जिले के नगामंगला तालुक में और उत्तर अक्षांश 13º 01.215’ से 76º 44.990’ उ और देशांतर 13°0.640' से 76° 45.049' पू के बीच स्थित है। अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 0.884 वर्ग किलोमीटर है। अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य इस सदी की शुरुआत के बाद से तीर्थ यात्रा स्थान और शैक्षणिक केंद्र रहा है। इसे अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य क्षेत्र घोषित करने की पहली अधिसूचना, वर्ष 1981 में जारी की गई थी और बाद में, अंतिम अधिसूचना वर्ष 1999 में जारी की गई थी;

और, यह अभयारण्य चुंचनागिरी मंदिर के निकट और मण्डया जिले के नगामंगला तालुक में तीर्थ केन्द्र में स्थित है। अदीचुंचनागिरी एक विशिष्ट अंतर्देशीय दक्षिण भारतीय पहाड़ी है, जो विभिन्न आकारों के बड़े पत्थर के ऊपर विशाल टोर के आकार के होते हैं। अदीचुंचनागिरी में मोरों की अच्छी संख्या पाई जाती है। अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 7 गाँव हैं और स्थानीय किसानों के स्वामित्व वाली कृषि भूमि और नारियल के बागानों से घिरा है, अभयारण्य के किनारे पर मवेशी चराई सामान्य हैं। लगभग 50,000 से 75,000 तीर्थयात्रियों को उत्सव के अवसरों पर प्रार्थना सभाओं में अदीचुंचनागिरी मुत्ता के लिए जाना जाता है;

और, क्योंकि अभयारण्य छोटा है, इसलिए यहाँ पर पर्यटन विकास की बहुत अधिक संभावना नहीं है। अभयारण्य बैंगलोर – मैंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग सं.48 के नजदीक है और प्रसिद्ध अदीचुंचनागिरी मंदिर और तीर्थ केन्द्र के निकट है। इसलिए बहुत से भक्त और तीर्थयात्री इस क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। लहरदार भू-भाग, चट्टानी पहाड़ियां और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और जीव-जंतुओं की व्यापक किस्में प्रकृति प्रेमियों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते है;

और, अदीचुंचनागिरी और निकटवर्ती पहाड़ियां और 1 किलोमीटर की त्रिज्या के अंतर्गत पहाड़ी श्रेणी मोरों के गढ़ हैं। यद्यपि अन्य पहाड़ियों जैसे हाद्दिनाकल्लुबेट्टा और रामासगारा राज्य वन और मदेश्वरा पहाड़ी में मोरों की प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं। यह इंगित करता है कि अदीचुंचनागिरी में मोरों का अस्तित्व बचाए रखने वाली आबादी है, मुख्य रूप से मोर के प्रचार से उत्पन्न स्वामीजी और उनके शिष्यों गहन धार्मिक भावना और उत्कृष्ट संरक्षण के कारण जीवित रहते हैं;

और, यद्यपि अभयारण्य में कुछ स्तनधारी प्रजातियां भी पाई जाती हैं, तथापि अभयारण्य पक्षी जनसंख्या से समृद्ध है। कर्नाटक के अंतर्देशीय पहाड़ियों में 99 अभिलिखित पक्षियों की प्रजातियों में से 25 प्रजातियां विशिष्ट प्रकार की हैं। यहाँ लगभग 15 आवासी जलीय पक्षी भी अभिलिखित हैं और शेष पक्षी खुली झाड़ी में आवास करते हैं जो यद्यपि इस समृद्ध राज्य में असुरक्षित हैं। अतः इनकी सुरक्षा के लिए आसपास के क्षेत्र के टैंकों को भी हटाया जा सकता है और कृत्रिम द्वीपों पर उपयुक्त पौधे उगाए जा सकते हैं। अभयारण्य में पक्षियों की 99 प्रजातियां, सरीसृपों की 8 प्रजातियां, तितलियों की 32 प्रजातियां, उभयचरों की 4 प्रजातियां अभिलिखित की गई हैं;

और, अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य में उपलब्ध प्रमुख वनस्पतियां सुगर एपल (*एनोना स्क्वैमोसा*), भारतीय बर्थवोरट (*एरिस्टोलोचिया इंडिका*), कोट बटन (*ट्राइडाक्स प्रोकम्बेन्स*), एगेव (*एगेव स्प्स.*), क्राउन फ्लावर (*कैलोट्रोपिस गिगेंटिया*), रूब्बेर बुश (*कैलोट्रोपिस प्रोसेरा*), नीला जेकरांडा (*जैकारंडा मिमोसोफिलिया*), येलो बेल्स (*टेक्सोमा स्टैंस*), अमलतास (*कैसिया फिस्टुला*), कसूद ट्री (*कैसिया स्यामिया*), फ्लेम ट्री (*डेलोनिक्स रेजिया*), बान तुलसी (*क्रोटन बोनप्लैंडियनस*), गंग (*एब्रस प्रिडेटोरियस*), अंजन (*हार्डविकिया बिनाटा*), इमली (*टैमेराइंडस इंडिका*), नीम (*अजाडिराक्टा इंडिका*), भारतीय बनयान (*फिकस बेंगालेंसिस*), बबुल (*अकैकिया निलोटिका*), यूकेलिप्टस (*यूकेलिप्टस एसपीएस.*), थुंबई (*लेउकास एस्पेरा*), आदि हैं;

और, अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य में उपलब्ध प्रमुख स्तनपायी प्रजातियाँ लघु पुच्छ वानर (*मकाका रेडियोटा*), तीन धारीदार प्लम गिलहरी (*फुनांबुलस पालमरुम*), पिपिस्ट्रेल (*पिपिस्ट्रेल सकोरोमांड्रा*), फ्लाइंग लोमड़ी (*टेरोपस गिगेंटस*), जंगली बिल्ली (*फेलिस चौस*), ब्लैक नैप्ड खरगोश (*लेपस नाइग्रीकोलिस*), आदि हैं। जबकि अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य में अभिलिखित पक्षियों की प्रजातियां छोटा ग्रेबे (*टचीबाप्टस रूफिकोलिस*), ग्रे पेलिकन (*पेलेकेनस फिलिपेन्सिस*), ग्रे बगुला (*अर्देया सिनेरिया*), ग्रे पेलिकन (*पेलेकेनस फिलीपेंसिस*), कॉर्मोरेंट (*फलाक्रोसॉरसिडे*), पॉण्ड बगुला (*अरडे ओला*), कैटल इग्रेट (*बुबुलकस इबिस*), इग्रेट (*यूनीडेंटिफाइड*) (*अर्देदाये*),चित्रित सारस (*माइकटेरिया ल्यूकोसेफला*), लेसर विश्टलिंग टील (*डेंड्रोसीग्रा जवानिका*), हनी बज़ार्ड (*पर्निस एप्रिवोरस*), पैराया काइट (*मिल्वस माइग्रेंस*), ब्राह्मणी काइट (*हैलियास्तुर इंडस*), शिकारा (*एकिपिटर बैडियस*), ब्लू रॉक कबूतर (*कोलंबा लिविया*), भारतीय

रिंग कबूतर (*स्ट्रेप्टोपेलिया कैपिसोला*), स्पॉटेड कबूतर (*स्पिलोपेलिया चाइनेंसिस*), छोटा भूरा कबूतर (*स्पिलोपेलिया सेनेगलेंसिस*), रोसेरिंग पैराकिट (*सिटाकुला क्रामेरी*), सामान्य हॉक-कोयल (*हिरोकोक्सीक्स वेरियस*), कोयल (युडीनामायस), छोटा ग्रीन बिल्लड मल्कोहा (*फानिकोफाउस ट्रीसटिस*), सिरकीर कोयल (*फेनिकोपेयस डियर्डी*), कौवा-तीतर (*सेन्ट्रोपस सिनेंसिस*), बारन उल्लू (*टायटो अलबा*), ग्रेट होर्नड उल्लू (*बुबो वर्जिनियनस*), आदि हैं;

और, अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य में पाए जाने वाले दुर्लभ, संकटापन्न और लुप्तप्राय पौधों की प्रजातियां क्वीन सागो (*साइकस सर्किनालिस*), चंदन (*संतालम एल्बम*), सिल्की *डालबर्गिया* (*डालबर्गिया सिरिसिया*), भारतीय बटर स्पेसिस (*मधुका एसपी.*), आदि हैं; जबकि अभयारण्य के दुर्लभ, संकटापन्न और लुप्तप्राय जीव ब्लैकबक (*एंटीलोप सर्वीकाप्रा*), धारीदार लकड़बग्घा (*हाइना हाइना*), तेंदुआ (*पेंथेरा पार्डस*), रीछ (*मेलुरस ओर्सिनस*), साल (*मैनीस क्रासीसिकाडाटा*), ग्रे पेलिकन (*पेलेकेनस फिलिपेंसिस*), सिरकिर कोयल (*टैक्कूकुआ लेचेनालटी*), येलो थ्रोटेड बुलबुल (*साइनोनोटस एक्सेन्थोलोमस*), भारतीय गिद्ध (*जिप्स इंडिकस*), सफ़ेद-रंप्ड गिद्ध (*जिप्स बेंगालेंसिस*), चित्रित सारस (माइकटेरिया लुकोसेफाला), आदि हैं;

और, अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य मण्डया जिला में अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर से 2.55 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**- (1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1 किलोमीटर से 2.55 किलोमीटर की दूरी तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 10.15 वर्ग किलोमीटर है।

(2) अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध-IIख** और **उपाबंध-IIग** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन और अदिचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य की सीमा के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हों के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;
(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
(ix) नगरपालिका;
(x) पंचायती राज; और
(xi) लोक निर्माण विभाग।

IndiaCode

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी-अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों की पुनः बहाली, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों और उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी और इस में विद्यमान और प्रस्तावित भू- उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा देने वाले अनुसमर्थित मानचित्र भी दिए जाएंगे।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परन्तु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अंतर्गत गृहवास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी गलती को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त गलती को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त गलती को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव- विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्त्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

IndiaCode

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह कि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल, रिजार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातो, झरने, दर्रो, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति- क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.–** पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, और पर्यावरण अधिनियम अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सम्मिलित किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा-संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय-यातायात.-**यानीय-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ख) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी, इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

IndiaCode

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, और तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं. (1)	क्रियाकलाप (2)	वर्णन (3)
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाईयां।	(क) वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनकों तोड़ने की इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी। (ख) खनन प्रचालन, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	आ. विनियमित क्रियाकलाप	
8.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

		परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी। परंतु यह कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
10.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
13.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
14.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाना ।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
17.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
18.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।

19.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुगधशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
20.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और पोल्ट्री फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों को विनियमित और निगरानी सख्ती ।
	इ. संवर्धित क्रियाकलाप	
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	निम्नीकृत भूमि/ वन / वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	मानीटरी समिति का संघटक	पद
(i)	क्षेत्रीय आयुक्त, मैसूर क्षेत्र, मैसूर	अध्यक्ष,पदेन;
(ii)	विधान सभा के सदस्य, नागमंगला	सदस्य;
(iii)	कर्नाटक सरकार के पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(iv)	कर्नाटक सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	क्षेत्रीय अधिकारी, मैसूर, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(vii)	कर्नाटक सरकार द्वारा प्रतिष्ठित राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय के पारिस्थितिकी में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(viii)	उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि मंड्या जिले, मण्डया	सदस्य;
(ix)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, मण्डया	सदस्य;
(x)	कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले जैव विविधता विशेषज्ञ	सदस्य;
(xi)	उप वन संरक्षक, वन्यजीव प्रभाग, मैसूर	सदस्य- सचिव।

6. निर्देश निबंधन:- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और तत्पश्चात् मानीटरी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533(अ) 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमो या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध-V** में संलग्न प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/27/2017-ईएसजेड]
डॉ. सतीश चन्द्र गढकोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

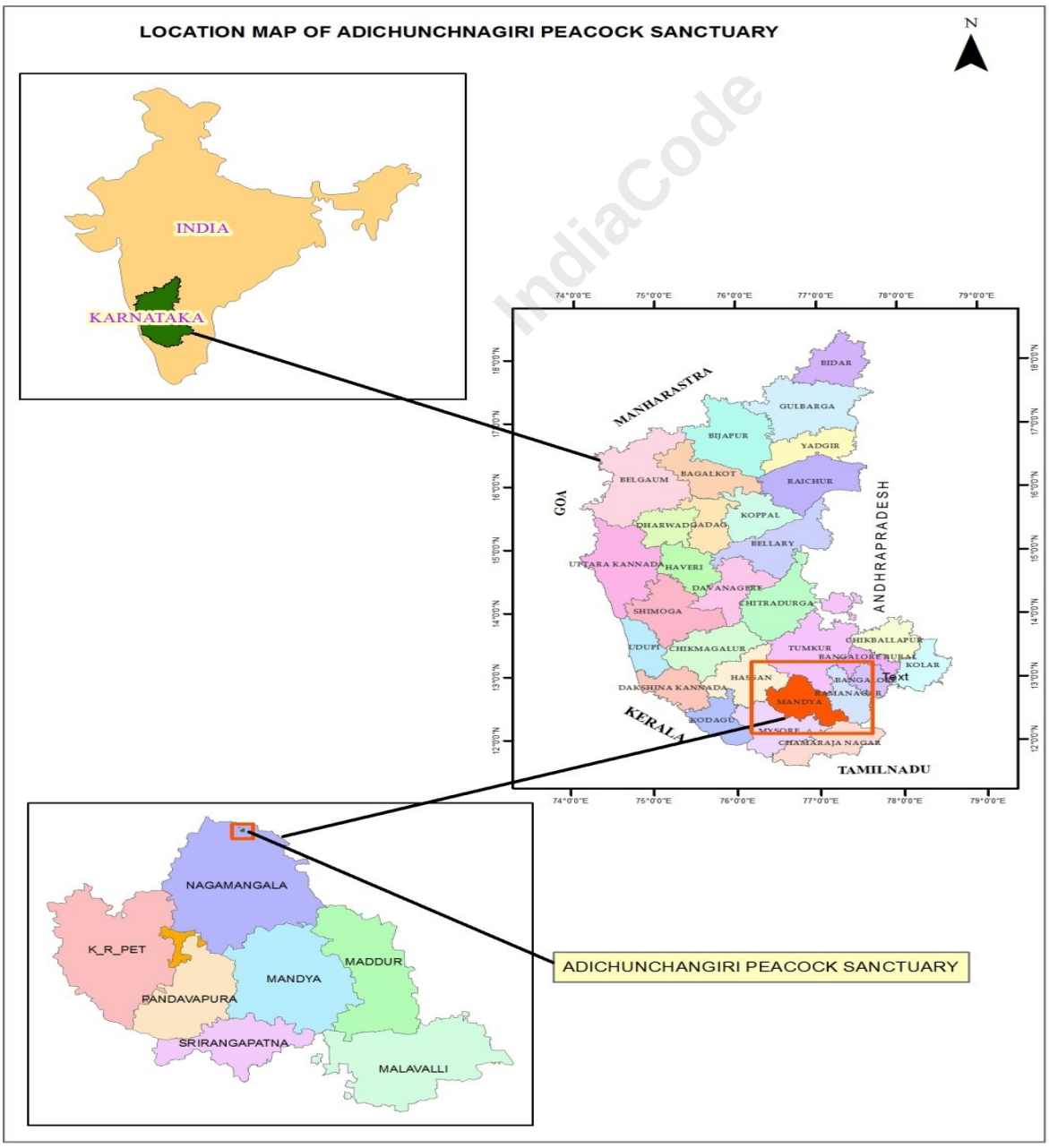
कर्नाटक राज्य में अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर:	पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रेखा के चारों ओर अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य चुंचनाहल्ली ग्राम के भू-निर्देशांक उ 13 01 35.79 पू 76 44 2.94 के साथ अभयारण्य सीमा से 1 किलोमीटर के बिंदु से आरंभ होती है और पुनः चुंचनाहल्ली ग्राम के भू-निर्देशांक उ 13 01 52.53 पू 76 44 14.20, उ 13 01 59.50 पू 76 44 30.40, उ 13 02 1.29 पू 76 44 45.01 से होते हुए अभयारण्य सीमा के बाहरी मुख्य बिंदु के समानान्तर 1 किलोमीटर की दूरी में जाती है बयालादाकेरे ग्राम के भू-निर्देशांक उ 13 01 55.77 पू 76 45 1.24 के साथ बिंदु पहुँचती है और इसके बाद बयालादाकेरे ग्राम के भू-निर्देशांक उ 13 01 44.16 पू 76 45 11.88, उ 13 01 45.80 पू 76 45 16.88 से होते हुए बयालादाकेरे ग्राम के सर्वे सं. 121 की डीम्ड वन सीमा के साथ जाती है यह बयालादाकेरे ग्राम के भू-निर्देशांक उ 13 01 47.95 पू 76 45 22.05 के साथ बिंदु तक पहुँचती है।
पूर्व:	उपरोक्त बिंदु से सीमा रेखा दक्षिण पूर्व की ओर जाती है और इसके बाद बयालादाकेरे और बनानाहल्ली ग्राम से होते हुए भू-निर्देशांक उ 13 01 42.83.44 पू 76 45 29.40, उ 13 01 37.89 पू 76 45 41.33, उ 13 01 27.04 पू 76 45 56.39, उ 13 00 42.41 पू 76 45 57.11, उ 13 00 29.40 पू 76 45 56.20 से होते हुए अभयारण्य सीमा के बाहरी मुख्य बिंदु के समानान्तर 1 किलोमीटर की दूरी में दक्षिण की ओर जाती है यह अभयारण्य सीमा की बाहरी मुख्य बिंदु के समानान्तर 1 किलोमीटर की दूरी में बनानाहल्ली ग्राम के डीम्ड वन सीमा पर भू-निर्देशांक उ 13 00 6.70 पू 76 45 39.92 के साथ बिदुं पहुँचती है।
दक्षिण:	उपरोक्त बिंदु से सीमा रेखा भू-निर्देशांक उ 13 00 2.45 पू 76 45 23.29, उ 12 59 53.37 पू 76 45 17.94 से होते हुए बनानाहल्ली ग्राम की डीम्ड वन सीमा के साथ दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर जाती है यह भू-निर्देशांक उ 12 59 50.74 पू 76 45 25.75 के साथ बनानाहल्ली और लक्ष्मीपुरा ग्रामों की सामान्य सीमा बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा उ 12 59 45.03 पू 76 45 21.15, उ 59 41.28 पू 76 45 34.99, उ 12 59 31.15 पू 76 45 37.15, उ 12 59 21.17 पू 76 45 24.39, उ 12 59 21.45 पू 76 45 4.47, उ 12 59 31.25 पू 76 45 10.50 लक्ष्मीपुरा ग्राम के सर्वे सं. 54 के दक्षिण-पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर जाती है यह भू-निर्देशांक उ 12 59 26.41 पू 76 45 0.86के साथ लक्ष्मीपुरा और हम्बाला जीराहल्ली ग्रामों की सामान्य सीमा पर बिंदु पहुँचती है। इसके बाद रेखा भू-निर्देशांक उ 12 59 37.38 पू 76 44 57.39, उ 12 59 40.27 पू 76 44 52.27, उ 12 59 46.09 पू 76 44 52.28से होते हुए हम्बाला जीराहल्ली ग्राम के सर्वे सं. 32 के डीम्ड वन सीमा के साथ जाती है यह हम्बाला जीराहल्ली और यलचीकेरे ग्रामों की सामान्य सीमा पर भू-निर्देशांकउ 12 59 57.62 पू 76 44 52.12के साथ बिंदु पहुँचती है जो कि डीम्ड वन की सीमा और क्रमशः हम्बाला जीराहल्ली और यलचीकेरे ग्रामों के सर्वे सं. 32 और 19की धारा-4 रिज़र्व वन सीमा पर सामान्य बिंदु है।

पश्चिम:	उपरोक्त बिंदु से सीमा रेखा यलचीकेरे और चूनचानाहल्ली ग्रामों के भू-निर्देशांकों उ 13 00 3.07 पू 76 44 55.51, उ 13 00 11.20 पू 76 44. 37. 78, उ 13 00 26 48 पू 76 44 22 91, उ 13 00 44.43 पू 76 44 12.98, उ 13 00 53.74 पू 76 44 12.62, उ 13 01 8.06 पू 76 44 2.86 से होते हुए अभयारण्य सीमा के बाहरी मुख्य बिंदु की एक किलोमीटर समानांतर की दूरी में उत्तर पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर जाती है यह चनचानाहल्ली ग्राम के भू-निर्देशांक उ 13 01 20.39 पू 76 44 1.24 के साथ बिंदु पहुँचती है और पुनः आरंभिक बिंदु पहुँचकर अभयारण्य सीमा की बाहरी मुख्य बिंदु के एक किलोमीटर समानांतर दूरी में जाती है।

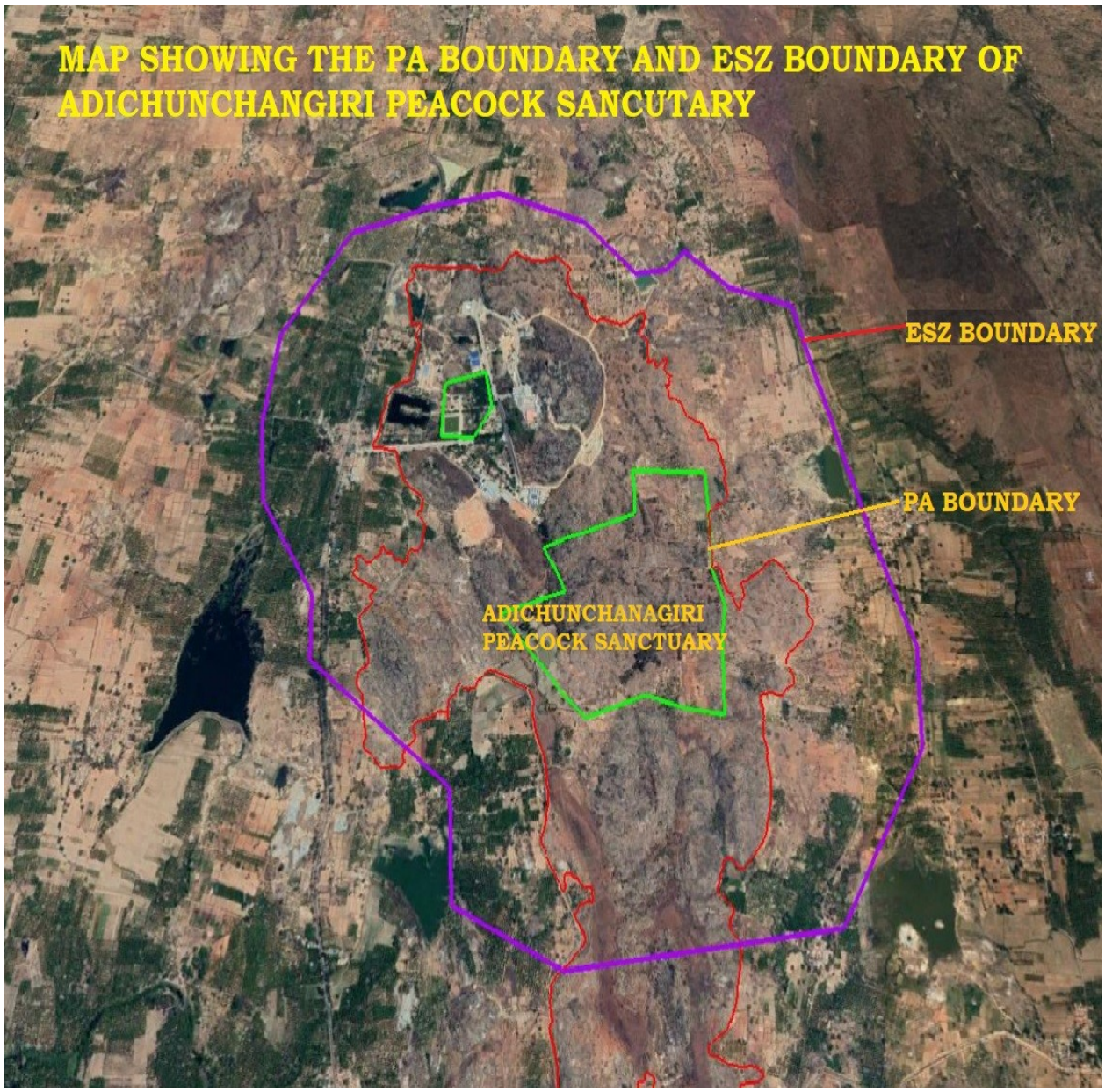
उपाबंध-IIक

कर्नाटक राज्य में अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का अवस्थान मानचित्र



उपाबंध-IIख

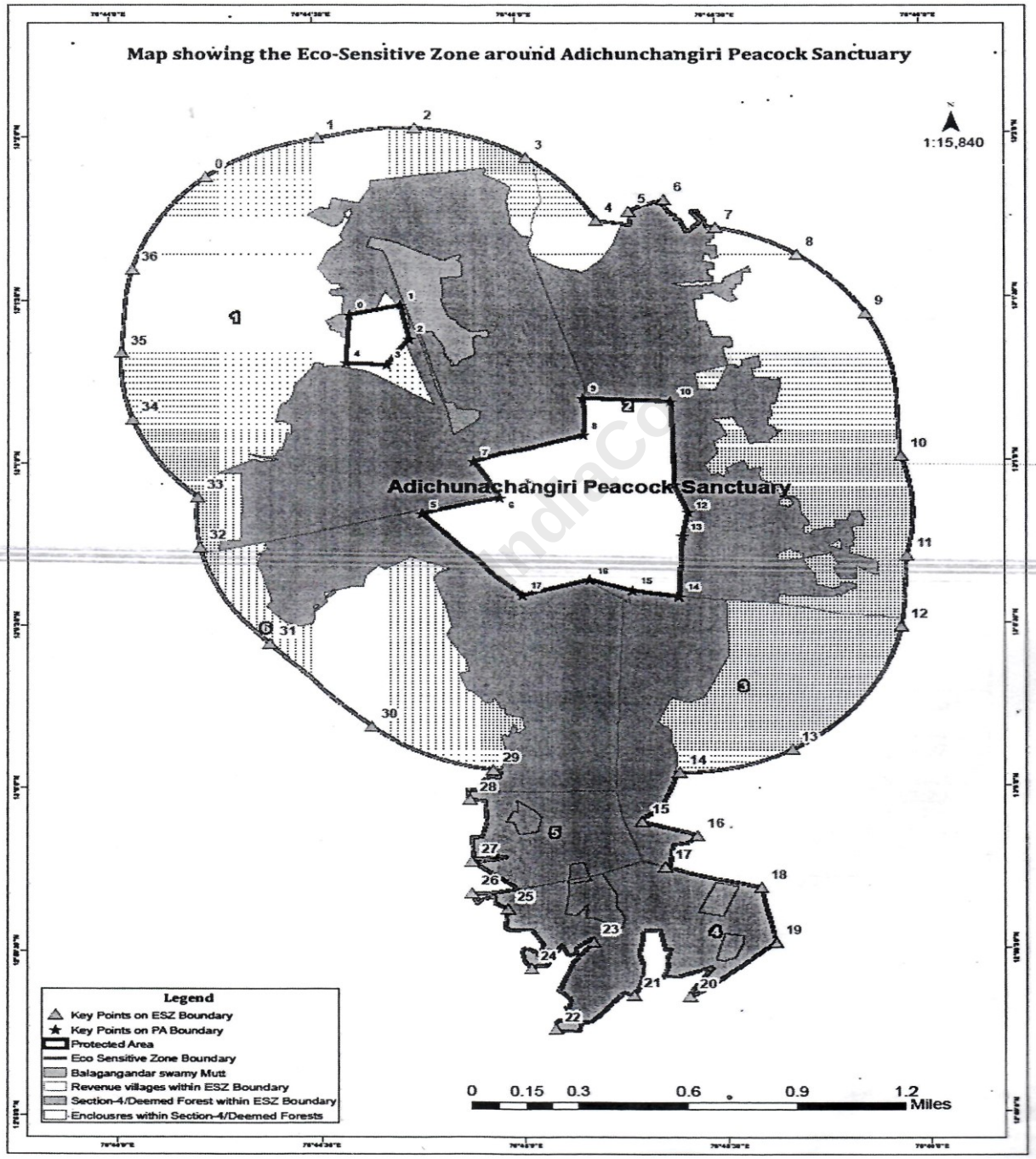
कर्नाटक राज्य में अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र



उपाबंध-IIग

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

Map of Eco-sensitive Zone of Adichunchunagiri Peacock Sanctuary, Karnataka



उपाबंध-III

सारणी क: अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

मानचित्र पर अवस्थिति	अक्षांश (उ)			देशांतर (पू)		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
I	अनुसूची ए					
0	13	1	27.15	76	44	34.94
1	13	1	28.84	76	44	42.62
2	13	1	22.77	76	44	43.85
3	13	1	17.95	76	44	40.50
4	13	1	18.31	76	44	34.36
II	अनुसूची बी					
5	13	0	50.56	76	44	45.57
6	13	0	53.36	76	44	56.89
7	13	1	0.05	76	44	53.20
8	13	1	4.78	76	45	9.67
9	13	1	11.69	76	45	9.55
10	13	1	10.96	76	45	22.70
11	13	0	55.67	76	45	23.02
12	13	0	50.53	76	45	24.89
13	13	0	46.15	76	45	24.07
14	13	0	34.99	76	45	23.52
15	13	0	36.06	76	45	16.88
16	13	0	38.11	76	45	10.36
17	13	0	35.30	76	45	0.06

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

मानचित्र पर अवस्थिति	अक्षांश (उ)			देशांतर (पू)		
	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड
0	13	1	52.53	76	44	14.20
1	13	1	59.50	76	44	30.40
2	13	2	1.29	76	44	45.01
3	13	1	55.77	76	45	1.24
4	13	1	44.16	76	45	11.88
5	13	1	45.80	76	45	16.88
6	13	1	47.95	76	45	22.05
7	13	1	42.83	76	45	29.40
8	13	1	37.89	76	45	41.33
9	13	1	27.04	76	45	51.55
10	13	1	0.78	76	45	56.39

IndiaCode

11	13	0	42.41	76	45	57.11
12	13	0	29.40	76	45	56.20
13	13	0	6.70	76	45	39.92
14	13	59	2.45	76	45	23.29
15	13	59	53.37	76	45	17.94
16	13	59	50.74	76	45	25.75
17	13	59	45.03	76	45	21.15
18	13	59	41.28	76	45	34.99
19	13	59	31.15	76	45	37.15
20	13	59	21.17	76	45	24.39
21	13	59	21.45	76	45	16.48
22	13	59	15.21	76	45	4.47
23	13	59	31.25	76	45	10.50
24	13	59	26.41	76	45	0.86
25	13	59	37.38	76	44	57.39
26	13	59	40.27	76	44	52.27
27	13	59	46.09	76	44	52.28
28	13	59	57.62	76	44	52.12
29	13	0	3.07	76	44	55.51
30	13	0	11.20	76	44	37.78
31	13	0	26.48	76	44	22.91
32	13	0	44.43	76	44	12.98
33	13	0	53.74	76	44	12.62
34	13	1	8.06	76	44	2.86
35	13	1	20.39	76	44	1.24
36	13	1	35.79	76	44	2.94

IndiaCode

उपाबंध-IV

सारणी क: भू-निर्देशांकों के साथ अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

मानचित्र आईडी	अवस्थिति	तालुक	क्षेत्र हेक्टेयर में	अक्षांश			देशांतर			टिप्पणियां
				डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	डिग्री	मिनट	सेकेण्ड	
1	चुनचुनाहल्ली	नगामंगला	366.282	13	1	20.49	76	44	31.83	
2	ब्यालादाकेरे	नगामंगला	255.511	13	1	6.50	76	45	36.76	
3	बनानाहल्ली	नगामंगला	109.316	13	0	18.10	76	45	32.04	
4	लक्ष्मीपुरा	नगामंगला	64.420	12	59	35.93	76	45	20.73	
5	अम्बालाजीराहल्ली	नगामंगला	33.400	12	59	50.49	76	45	6.32	आंशिक ग्राम
6	यलचीकेरे	नगामंगला	185.752	13	0	26.42	76	44	49.48	
	कुल		**1014.68**							

सारणी ख: भू-निर्देशांकों के साथ अदीचुंचनागिरी मयूर अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों और डीम्ड वन की सूची

क्र. सं.	ग्राम के नाम	सर्वेक्षण संख्या	धारा-4 का विस्तार क्षेत्र हेक्टेयर में	सर्वेक्षण संख्या	डीम्ड वन का विस्तार(हेक्टेयर)	अधिसूचना सं. एवं तारीख	टिप्पणियां
1	चुनचुनाहल्ली	138,148, 179,181	287.04	180	35.99	एएचएफएफ 216 एफएएफ 91 तारीख: 07-06-1991	सर्वे सं. 138 अभयारण्य क्षेत्र 58.29 हेक्टेयर में है
2	ब्यालादाकेरे	121	14.40	121	98.11	एएचएफएफ 231 एफएएफ 91 तारीख : 29-06-1991	सर्वे सं. में धारा-4 और डीम्ड वन क्षेत्र दोनों शामिल हैं।
3	बनानाहल्ली	-	-	34	64.30	-	
4	लक्ष्मीपुरा	54	-	54	35.11	-	
5	हम्बाला जीराहल्ली	-	-	32	73.77	-	
6	यलचीकेरे	-	-	19	78.96	-	
	कुल		**301.44**		**386.24**		

IndiaCode

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र.-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार)। विवरण उपाबंध के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें) ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन फाइल की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2020

S.O. 3032(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 4441(E), dated the 10th December, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 11th December, 2019;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Adichunchanagiri Peacock Sanctuary is situated in Nagamangala Taluk of Mandya district in the State of Karnataka and lies between the latitudes 13º 01.215' to 76º44.990' N and longitudinal range 13°0.640' to 76° 45.049' E. The Sanctuary has total area of 0.884 square kilometer. The Adichunchanagiri Peacock Sanctuary has been a pilgrimage and educational centre since the beginning of this century. The first notification to declare the area as Adichunchanagiri Peacock Sanctuary was issued in 1981 and subsequently, final notification was issued in 1999;

AND WHEREAS, the Adichunchanagiri Peacock Sanctuary is located near Chunchanagiri Temple and Pilgrimage centre in Nagamangala Taluk of Mandya District. Adichunchanagiri is a typical inland South Indian Hill characterised by giant or heap upon by boulders of various sizes. There is a good population of pea fowls in Adichunchanagiri. The sanctuary has 07 villages around its boundary and surrounded by agricultural lands and coconut plantations owned by local farmers, cattle grazing on the fringes of the sanctuary are common. About 50,000 to 75,000 pilgrims are known to attend prayer meetings on festive occasions to the Adichunchanagiri Mutta;

AND WHEREAS, the Adichunchanagiri Peacock Sanctuary is small and has not much scope for tourism development. The Sanctuary is close to Bangalore-Mangalore National Highway No.48 and is adjacent to the famous Adichunchanagiri Temple and pilgrimage centre. As such, lot of devotees and pilgrims visit the area. The undulating terrain, rocky hillocks and wide variety of flora and fauna offer ample opportunity to nature lovers;

AND WHEREAS, Adichunchanagiri and the adjacent hills and hill ranges within a radius of 1 kilometer is the stronghold of the peafowl. Though the habitat on other hills namely Haddinakallubetta and those in Ramasagara State Forest and Madeshwara Hill appear to be conducive for the occurrence of peafowl, the species is not found there. This indicates that the peafowl at Adichunchanagiri in effect belongs to a population surviving mainly due to the excellent protection accorded by way of a strong religious sentiment maintained and preached by the Swamiji and his disciples;

AND WHEREAS, though very few mammal species are found in the Sanctuary, the sanctuary is rich in bird population. Out of the 99 recorded species of birds, 25 species are peculiar to the inland hills of Karnataka. About 15 resident water birds also have been recorded and rests of the birds are those that frequent in open scrub habitat which though disturbed is still in healthy state. The tanks of surrounding area can also be de-silted and suitable plants can be grown on artificial islands. 99 species of birds, 8 species of reptiles, 32 species of butterflies, 4 species of amphibians have been recorded in the Sanctuary;

AND WHEREAS, the major flora available in the Adichunchanagiri Peacock Sanctuary are sugar apple (*Annona squamosa*), Indian birthwort (*Aristolochia indica*), coat buttons (*Tridax procumbens*), agave (*Agave sps*.), crown flower (*Calotropis gigantea*), rubber bush (*Calotropis procera*), blue jacaranda (*Jacaranda mimosefolia*), yellow bells (*Texoma stans),* amaltas *(Cassia fistula),* kasood tree *(Cassia siamea),* flame tree *(Delonix regia),* ban tulsi *(Croton bonplandianus*), gung (*Abrus precatorius*), anjan (*Hardwickia binata*), tamarind (*Tamarindus indica*),neem (*Azadirachta indica*), Indian banyan (*Ficus benghalensis*), babool (*Acacia nilotica*), eucalyptus (*Eucalyptus sps.),* thumbai *(Leucas aspera),* etc;

AND WHEREAS, the major mammal species available in the Adichunchanagiri Peacock Sanctuary are bonnet macaque (*Macaca radiata),* three-striped plam squirrel (*Funambulus palmarum),* pipistrelle (*Pipistrellus coromandra),* flying fox (*Pteropus giganteus),* jungle cat (*Felis chaus),* black naped hare (*Lepus nigricollis),*etc. While birds species recorded from Adichunchanagiri Peacock Sanctuary are little grebe (*Tachybaptus ruficollis*), grey pelican (*Pelecanus philippensis*), grey heron (*Ardea cinerea*), grey pelican (*Pelecanus philippensis),* cormorant (*Phalacrocoracidae),* grey heron (*Ardea cinerea),* pond heron (*Ardeola),* cattle egret (*Bubulcus ibis),* egrets (unidentified) (*Ardeidae),* painted stork (*Mycteria leucocephala),* lesser whistling teal (*Dendrocygnajavanica),* honey buzzard (*Pernis apivorus),* paraiah kite (*Milvus migrans),* brahminy kite (*Haliastur Indus),* shikara (*Accipiter badius),*

blue rock pigeon (*Columba livia),*Indian ring dove (*Streptopelia capicola),* spotted dove (*Spilopelia chinensis),* little brown dove (*Spilopelia senegalensis),* roseringed parakeet (*Psittacula krameri),*common hawk-cuckoo (*Hierococcyx varius),* koel (*Eudynamys),* small greenbilled malkoha (*Phaenicophaeus tristis),* sirkeer cuckoo (*Phaenicophaeus diardi),* crow-pheasant (*Centropus sinensis),* barn owl (*Tyto alba),* great horned owl (*Bubo virginianus),* etc;

AND WHEREAS, the rare, threatened and endangered plant species found in Adichunchanagiri Peacock Sanctuary are queen sago (*Cycas circinalis*), sandalwood (*Santalum album*), silky dalbergia (*Dalbergia sericea*), Indian butter species (*Madhuca sp.),* etc; While rare, threatened and endangered fauna of the Sanctuary are blackbuck *(Antilope cervicapra),* striped hyena (*Hyaena hyaena),* leopard *(*Panthera pardus*),* sloth bear (*Melursus ursinus*), pangolins (*Manis crassicaudata*), Grey pelican *(Pelecanus philippensis)*, sirkeer cuckoo (*Taccocua lescheaultii),* yellow throated bulbul (*Pycnonotus xantholaemus),* Indian vulture (*Gyps indicus),* white-rumped vulture *(*Gyps bengalensis*),* painted stork *(Mycteria leucocephala*), etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Adichunchanagiri Peacock Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1 kilometre to 2.55 kilometres around the boundary of Adichunchanagiri Peacock Sanctuary, in Mandya District in the State of Karnataka as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 1 kilometre to 2.55 kilometres around the boundary of Adichunchanagiri Peacock Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 10.15 square kilometres.

 (2) The boundary description of Adichunchanagiri Peacock Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

 (3) The maps of the Adichunchanagiri Peacock Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB** and **Annexure-IIC.**

 (4) Lists of geo-coordinates of the boundary of Adichunchanagiri Peacock Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

 (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-**(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.

 (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

 (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

 (i) Environment;

 (ii) Forest and Wildlife;

 (iii) Agriculture;

 (iv) Revenue;

 (v) Urban Development;

 (vi) Tourism;

 (vii) Rural Development;

IndiaCode

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal;

(x) Panchayati Raj; and

(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of Article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or Eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and Demolition Waste Management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
8.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents. Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.

		(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
10.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
14.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
23.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
24.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Open Well, Borewell, etc. for agriculture and other usages.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Regional Commissioner, Mysuru Region, Mysuru	Chairman, ex officio
(ii)	Member of Legislative Assembly, Nagamangala	Member;
(iii)	Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka	Member;
(iv)	Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka	Member;
(v)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the Government of Karnataka	Member;
(vi)	Regional Officer, Mysore, Karnataka State Pollution Control Board	Member;
(vii)	One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka	Member;
(viii)	Deputy Commissioner or his representative Mandya District, Mandya	Member;
(ix)	The Chief Executive Officer, Zilla Panchayath, Mandya	Member;
(x)	Biodiversity expert to be nominated by Government of Karnataka	Member;
(xi)	Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Mysore	Member-Secretary.

6. Terms of reference.–(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F.No. 25/27/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist, 'G'

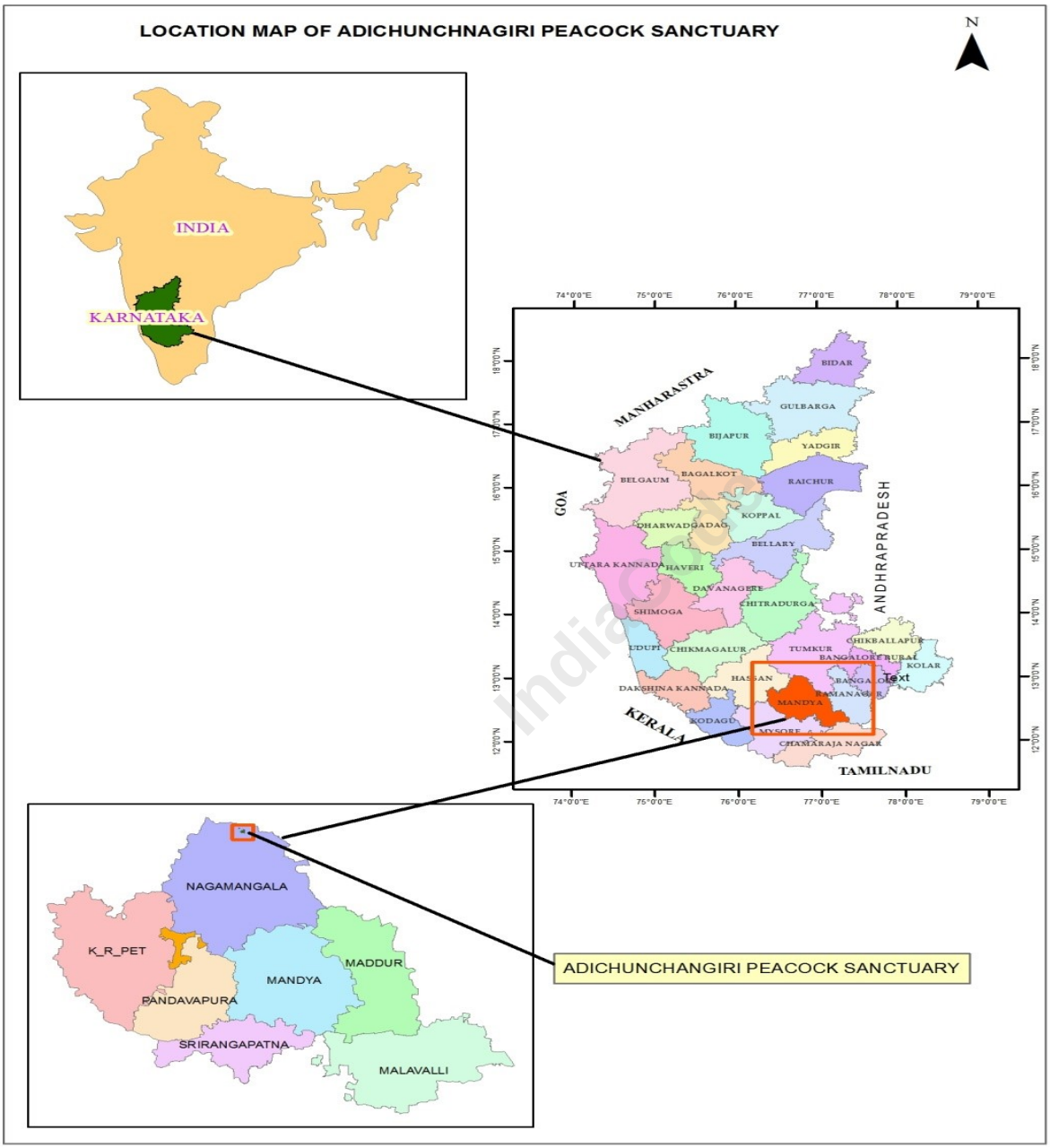
ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION ECO-SENSITIVE ZONE AROUND ADICHUNCHANAGIRI PEACOCK SANCTUARY IN THE STATE OF KARNATAKA

North:	The boundary line of the Eco-sensitive Zone around Adichunchanagiri Peacock sanctuary starts at a point one kilometre from the Sanctuary boundary with geo co-ordinate N 13 01 35.79 E 76 44 2.94 of Chunchanahalli village and continuous at a distance of one kilometer parallel to the outermost points of the Sanctuary boundary through the geo co-ordinates n 13 01 52.53 E 76 44 14.20, N 13 01 59.50 E 76 44 30.40, N 13 02 1.29 E 76 44 45.01 of Chunchanahalli village till reaches a point with geo co-ordinate N 13 01 55.77 E 76 45 1.24 of Byaladakere village and then runs along the deemed forest boundary of Sy. No. 121 of Byaladakere village passing through the geo co-ordinates N 13 01 44.16 E 76 45 11.88, N 13 01 45.80 E 76 45 16.88 of Byaladakere village till it reaches a point with geo co-ordinate N 13 01 47.95 E 76 45 22.05 of Byaladakere village.
East:	From the above point the boundary line runs southerastwards and then along southwards at a distance of one kilometer parallel to the outermost points of the Sanctuary boundary through the geo co-ordinates N 13 01 42.83.44 E 76 45 29.40, N 13 01 37.89 E 76 45 41.33, N 13 01 27.04 E 76 45 56.39, N 13 00 42.41 E 76 45 57.11, N 13 00 29.40 E 76 45 56.20 through Byaladakere and Bananahalli villages till it reaches a point with geo co-ordinate N 13 00 6.70 E 76 45 39.92 on the deemed forest boundary of Bananahalli village at a distance of one kilometer parallel to the outermost points of the Sanctuary boundary.
South:	From the above point the boundary line runs southwards, eastwards and westwards along the deemed forest boundary of Bananahalli village passing through the geo co – ordinates N 13 00 2.45 E 76 45 23.29, N 12 59 53.37 E 76 45 17.94 till it reaches a point on the common boundary of Bananahalli and Lakshmipura villages with geo co-ordinate n 12 59 50.74 E 76 45 25.75. Then the line runs southeastwards, southwards, westwards and northwards of Sy. No. 54 of Lakshmipura villages N 12 59 45.03 E 76 45 21.15, N 59 41.28 E 76 45 34.99, N 12 59 31.15 E 76 45 37.15, N 12 59 21.17 E 76 45 24.39, N 12 59 21.45 E 76 45 4.47, N 12 59 31.25 E 76 45 10.50 till it reaches a point on the common boundary of Lakshmipura and hambala Jeerahalli villages with geo co-ordinate N 12 59 26.41 E 76 45 0.86. Then the line runs along the deemed forest boundary of Sy. No. 32 of Hambala Jeerahalli village passing through the geo co-ordinates N 12 59 37.38 E 76 44 57.39, N 12 59 40.27 E 76 44 52.27, N 12 59 46.09 E 76 44 52.28 till it reaches a point with geo co-ordinate N 12 59 57.62 E 76 44 52.12 on the common boundary of Hambala Jeerahalli and Yalchikere villages which is the common point on the boundary of deemed forest and Section-4 reserve forest boundary of Sy. Nos. 32 and 19 of Hambala jeerahalli and Yalchikere villages respectively.
West:	From the above point the boundary line runs northwestwards and northwards at a distance of one kilometer parallel to the outermost points of the Sanctuary boundary through the geo co-ordinates N 13 00 3.07 E 76 44 55.51, N 13 00 11.20 E 76 44. 37. 78, N 13 00 26 48 E 76 44 22 91, N 13 00 44.43 E 76 44 12.98, N 13 00 53.74 E 76 44 12.62, N 13 01 8.06 E 76 44 2.86 of Yalchikere and Chunchanahalli villages till it reaches a point with geo co-ordinate N 13 01 20.39 E 76 44 1.24 of Chunchanahalli village and continuous at a distance of one kilometer parallel to the outermost points of the Sanctuary boundary to reach the starting point.

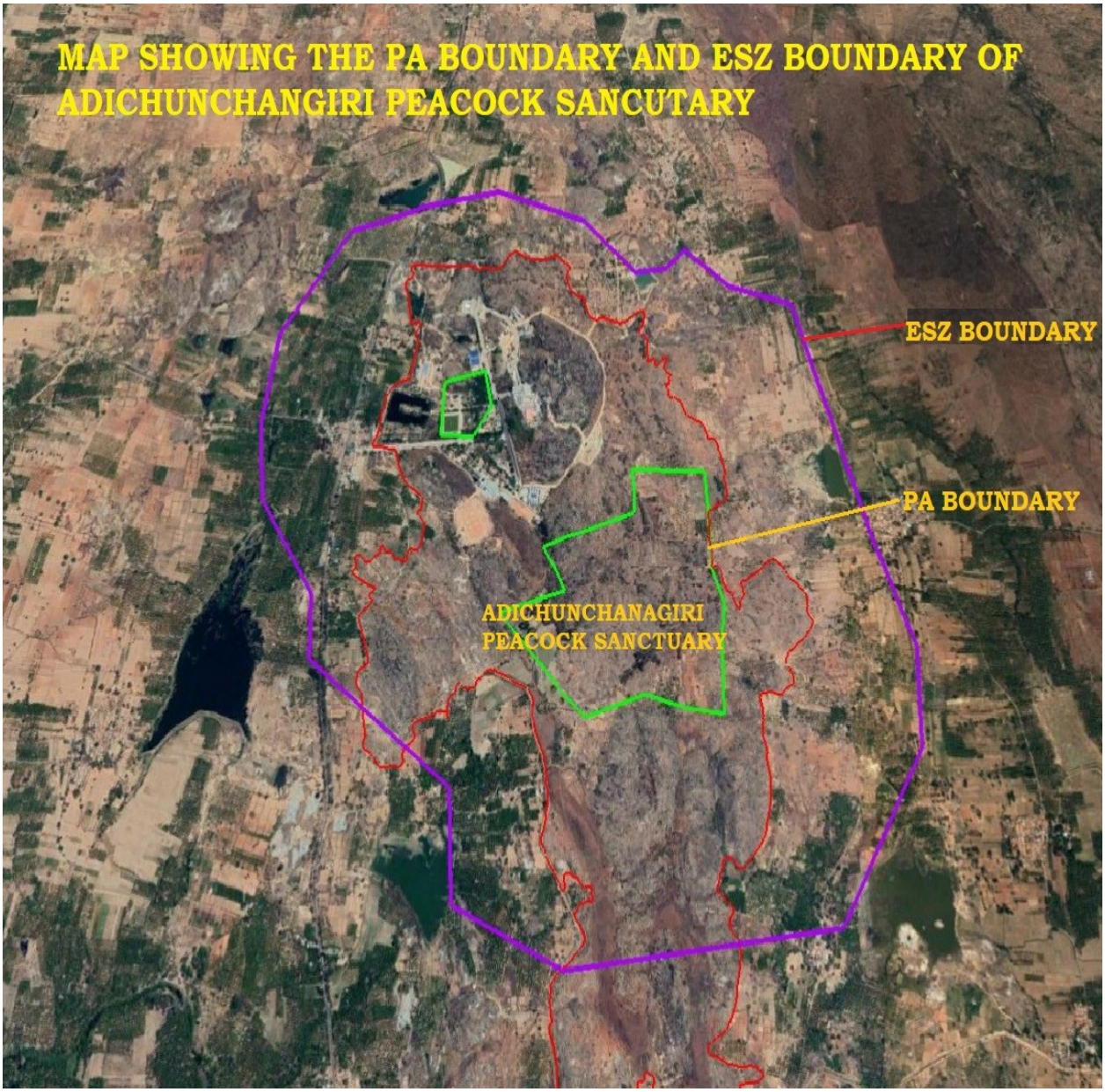
ANNEXURE- IIA

LOCATION MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND ADICHUNCHANAGIRI PEACOCK SANCTUARY IN THE STATE KARNATAKA



ANNEXURE- IIB

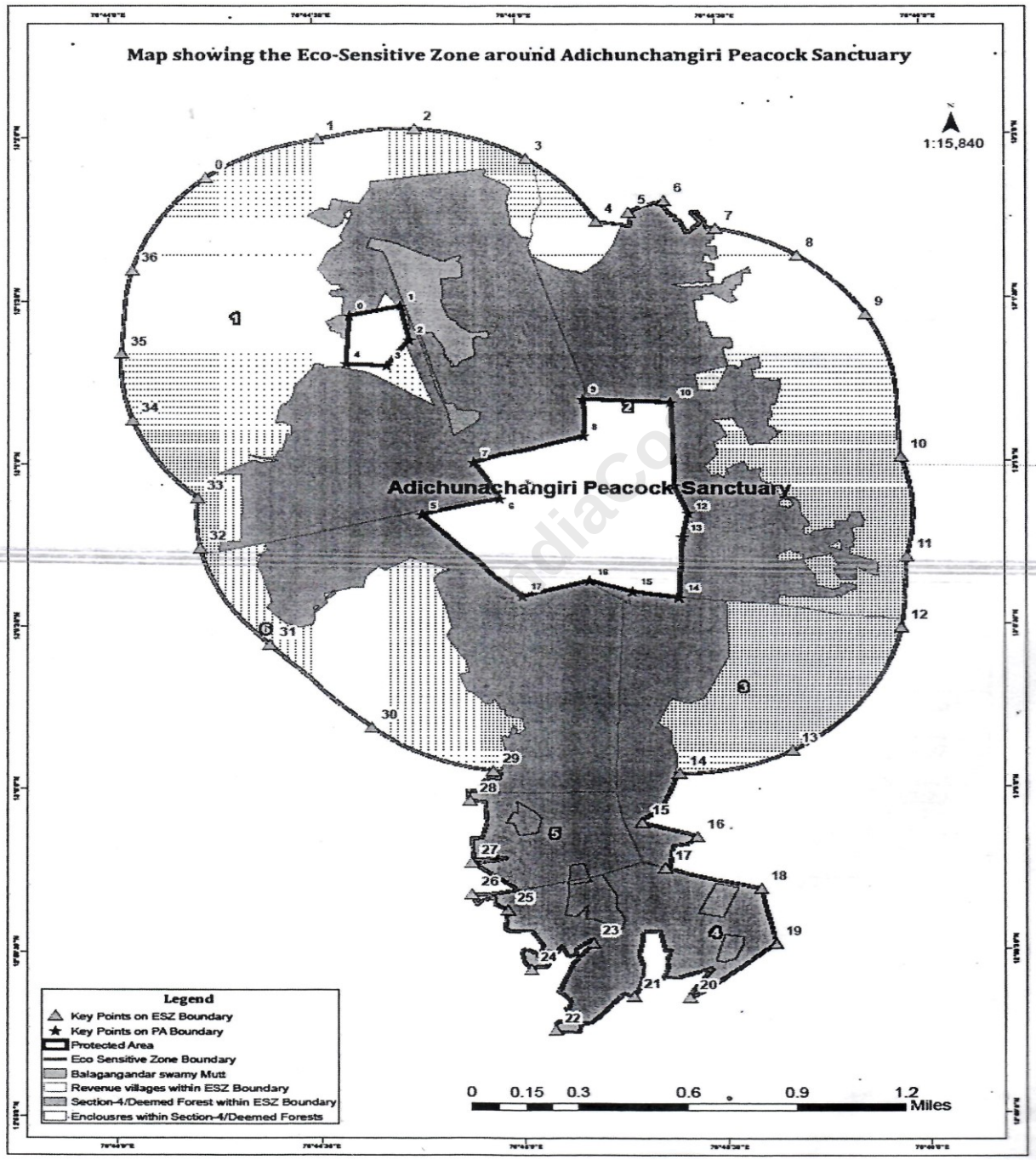
GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND ADICHUNCHANAGIRI PEACOCK SANCTUARY IN THE STATE KARNATAKA



ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND ADICHUNCHANAGIRI PEACOCK SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

Map of Eco-sensitive Zone of Adichunchunagiri Peacock Sanctuary, Karnataka



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ADICHUNCHANAGIRI PEACOCK SANCTUARY

Location on the Map	Latitude (N)			Longitude (E)		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
I	**Schedule A**					
0	13	1	27.15	76	44	34.94
1	13	1	28.84	76	44	42.62
2	13	1	22.77	76	44	43.85
3	13	1	17.95	76	44	40.50
4	13	1	18.31	76	44	34.36
II	**Schedule B**					
5	13	0	50.56	76	44	45.57
6	13	0	53.36	76	44	56.89
7	13	1	0.05	76	44	53.20
8	13	1	4.78	76	45	9.67
9	13	1	11.69	76	45	9.55
10	13	1	10.96	76	45	22.70
11	13	0	55.67	76	45	23.02
12	13	0	50.53	76	45	24.89
13	13	0	46.15	76	45	24.07
14	13	0	34.99	76	45	23.52
15	13	0	36.06	76	45	16.88
16	13	0	38.11	76	45	10.36
17	13	0	35.30	76	45	0.06

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Location on the Map	Latitude (N)			Longitude (E)		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
0	13	1	52.53	76	44	14.20
1	13	1	59.50	76	44	30.40
2	13	2	1.29	76	44	45.01
3	13	1	55.77	76	45	1.24
4	13	1	44.16	76	45	11.88
5	13	1	45.80	76	45	16.88
6	13	1	47.95	76	45	22.05
7	13	1	42.83	76	45	29.40
8	13	1	37.89	76	45	41.33
9	13	1	27.04	76	45	51.55
10	13	1	0.78	76	45	56.39
11	13	0	42.41	76	45	57.11

IndiaCode

12	13	0	29.40	76	45	56.20
13	13	0	6.70	76	45	39.92
14	13	59	2.45	76	45	23.29
15	13	59	53.37	76	45	17.94
16	13	59	50.74	76	45	25.75
17	13	59	45.03	76	45	21.15
18	13	59	41.28	76	45	34.99
19	13	59	31.15	76	45	37.15
20	13	59	21.17	76	45	24.39
21	13	59	21.45	76	45	16.48
22	13	59	15.21	76	45	4.47
23	13	59	31.25	76	45	10.50
24	13	59	26.41	76	45	0.86
25	13	59	37.38	76	44	57.39
26	13	59	40.27	76	44	52.27
27	13	59	46.09	76	44	52.28
28	13	59	57.62	76	44	52.12
29	13	0	3.07	76	44	55.51
30	13	0	11.20	76	44	37.78
31	13	0	26.48	76	44	22.91
32	13	0	44.43	76	44	12.98
33	13	0	53.74	76	44	12.62
34	13	1	8.06	76	44	2.86
35	13	1	20.39	76	44	1.24
36	13	1	35.79	76	44	2.94

IndiaCode

ANNEXURE-IV

TABLE A: LIST OF VILLAGES COMING UNDER THE ADICHUNCHANAGIRI PEACOCK SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Map ID	Location	Taluk	Area in Ha	Latitude			Longitude			Remarks
				Degree	Min.	Seconds	Degree	Min.	Seconds	
1	Chunchanahalli	Nagamangala	366.282	13	1	20.49	76	44	31.83	Partial Village
2	Byaladhakere	Nagamangala	255.511	13	1	6.50	76	45	36.76	
3	Bananahalli	Nagamangala	109.316	13	0	18.10	76	45	32.04	
4	Lakshmipura	Nagamangala	64.420	12	59	35.93	76	45	20.73	
5	Ambala Jeerahalli	Nagamangala	33.400	12	59	50.49	76	45	6.32	
6	Yalachikere	Nagamangala	185.752	13	0	26.42	76	44	49.48	
	Total		**1014.68**							

TABLE B: LIST OF VILLAGES AND DEEMED FOREST AREA COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF ADICHUNCHANAGIRI PEACOCK SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Name of the Village	Survey Number	Extent of Section - 4 area in Hectare	Survey Number	Extent of Deemed Forest (Hectare)	Notification Number and Date	Remarks
1	Chunchanahalli	138,148, 179,181	287.04	180	35.99	AHFF 216 FAF 91 Dated: 07-06-1991	58.29 Ha in Sy.No. 138 is Sanctuary area
2	Byaladakere	121	14.40	121	98.11	AHFF 231 FAF 91 Dated : 29-06-1991	Sy. No. comprises of both Section-4 and Deemed Forest area.
3	Bananahalli	-	-	34	64.30	-	
4	Lakshmipura	54	-	54	35.11	-	
5	Hambala Jeerahalli	-	-	32	73.77	-	
6	Yalchikere	-	-	19	78.96	-	
	Total		**301.44**		**386.24**		

IndiaCode

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.08 22:39:56 +05'30'